

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

७३

पत्रांक : ९३/५०३०-भवन/जौन-१/२०१०-११ दिनांक ४/७/२०१२

विनियोगीतीकरण

यह विनियोगीतीकरण उ०३० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत विनियोगीत किए जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न तगड़ना विनियोगीत कि उस भूमि ले सम्बन्ध में विस १९ व्यवसायिक शमन मानविक विनियोगीत किए जा रहा है इससे फिरी प्रकार या किसी उत्तरीय निकाय व इच्छा स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा इस के नियोजन अधिकारी पर किसी का लाई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति लिसे को मिलेगा या व्यापत्ति के अडिलारी के लिए कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीकृष्ण आशा ऊपा पत्नी श्री विनोद कुमार गुणा स्थान नज़ूक भी होल्ड भूखण्ड संख्या ५३/४ विविध स्टेशन, लोहिया नार, इलाहाबाद जौन संख्या (१) के उत्तरीत विजित व्यवसायिक शमन गानवेत्र के विनियोगीतोकरण नियोजिता प्रतिवर्षी के अधीन प्रदान लिखा जाना है :-

१. उ०३० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५५ (१) के प्रतिलिपि के अनुरूप अपेक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के एकात्म ही उपर्योग/उधियोग किया जायेगा, भवन निर्गम एवं विकास उपयोग २००९ ते लप्तीष्ठी संख्या-२.१.३ एवं ३.१.८ में विविध विकाय पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र भवा करना आवश्यक है।
२. यह स्पौते अनुनियम (Provisional) स्लीकर्ट के रूप में होगा। नियोग पूर्ण होने के उपरान्त सर्व आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की तर्ते पूर्ण करने के उपरान्त नियत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परियोग को वास्तविक रूपोंमें लेज जा सकेगा।
३. स्वामित्व रान्ची किसी भी विवाद पर मानविक उत्तर नियोजन संख्या जायेगा।
४. रथल पर एक बोर्ड उत्तर स्थानीय संघर्षी विवरण अविका करना होगा।
५. रथल पर ०३ वृक्ष लगाने होंगे तथा दूसरों ले हथ-भरा रखने का दायित्व आदेक का होगा।
६. रथल पर समर्पण आन्तरिक विकास कार्य जूता पूर्ण कर उत्तर का संयोजन Existing Services से करना होगा।
७. रथल का अधिनियम/उपरोक्त र्वीकृत प्रभावना ले अनुरूप ही अनुमय होगा।
८. मा० उच्च न्यायालय गे योजित रिट याचिका संख्या-२०८६०/२००३ मे परियोग होने वाले अनिन आदेश का अकारण परियोग करना होगा।
९. रथल पर रेनपार्ट र्हार्डिंग प्रणाली नामके अनुसार विकास कर भू-ग्रां जल लिया जी अनावृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
१०. दूर्व स्वीकृत गानवेत्र परियोग संख्या-१५२/जौन-३/उपरोक्त-६.७.८/०८-०९ दिनांक ०२.०६.२००३ मे अंकित प्रतिवेदन का बालन लगना होगा।
११. यदि आवेदक इस कोई महत्वपूर्ण लूपना लिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है ही उ०३० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) ले अन्तर्गत मानविक नियोजन करने पर्याय होगा।
१२. यह स्वीकृत पत्र केवल पौच्छर्य की अवधि के लिए है। यदि सूखगंगे का उत्तर-विभाग अथवा पाल पर्याय इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है ही तो इन्हींप्राप्त धारा नियमनुसार लाग्य तरह नियोजन एवं विकास अधिनियम '७३ की तुलना पायाजो के अन्तर्गत वर्गीकृती की जायेगी।
१३. मकान नियोग से यदि नाली के लड़के भी पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भार (जो नक्कल के आगामी गिरियाँ अथवा उनके आकार के लए लड़के गई हों) को हनि-हुंये सो गहस्तामी हैंपर ही जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने ऐसे लैखित सूचना दूर्व और सीधा कहा तो पहले ही उसे अपने घर्ये से मलताल करकर पूर्णता अवस्था लियारे विकास प्राधिकरण को जन्मोब डी जाय, मैं दूर्व होगा।
१४. यह नियोग के समर्थ इसका भी व्यान स्थान होगा कि भारीम वेदुत अधिनियम १३६८ (इण्डियन इन्डिप्रियटी रूल्स १९८५) नियम १२ का उल्लंघन लिसे भी इस में न लोना दाइए। यदि विकास प्राधिकरण गो जानलारी में ऐसे गागले पाने रखे तो वह ऐसे नियोग को रोक अथवा हटाया लकड़ा है।
१५. आदेक को नियमनुसार विकास प्राधिकरण जो मकान की नीव तक तथा जूता तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की रुक्ता म० आबाद होने वे ग्रां देना होगा तथा उस अद्वी का नम भी दैन होगा लिसके नियोजन गैंगकर निर्दित हुआ है।
१६. यदि नियोग में गारटर लान का उल्लंघन होता पाया गया तो नियोगकर्ता दो दो गई स्थिरता रद्द संबंधी जायेगी और किया गया नियोग अनियकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

१२ दूर्व २०१२

संयुक्त समिति/प्र०३०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

इलाहाबाद

